प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

1. **मुख्य शिक्षा अधिकारी**
   उत्तराखण्ड
2. **जिला शिक्षा अधिकारी**
   (प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तराखण्ड

पत्रांक : प्रा॰शि॰–दो(2)/ 15175-80 /17(III)/2017–18 दिनांक:08 सितम्बर, 2017

विषय : **अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी0एल0एड0 प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त/असहायता प्राप्त प्राइवेट /पब्लिक स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के डी०एल०एड० प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में कक्षा I से VIII तक शिक्षण कराने वाले समस्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षण हेतु वांछित प्रशिक्षण योग्यता (डी०एल०एड० प्रशिक्षण जिसे पूर्व में बी०टी०सी० के नाम से जाना जाता था) प्राप्त नहीं की गयी है, को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 31–03–2019 तक प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा निदेशालय से पृच्छा की गयी है। प्राप्त पृच्छाओं के समाधान हेतु मानव संसाधन विकास विभाग से पत्राचार किया गया। तद्क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 05–09–2017 को अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, एस0सी0ई0आर0टी0 एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले राजकीय/सहायता प्राप्त/प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए डी0एल0एड0 कराये जाने के संदर्भ में निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी :–

राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालय :–

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23–08–2010 पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुक्रम में 03–09–2001 से पूर्व राज्य सरकार की नीतियों/नियमों के तहत नियुक्त किये गये शिक्षकों को डी0एल0एड0 प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।
2. दिनांक 03.09.2001 के उपरान्त नियुक्त ऐसे समस्त शिक्षकों, जो कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में अध्यापन कराते है तथा बी0टी0सी0/डी0एल0एड0 उत्तीर्ण नहीं है, को डी0एल0एड0 करना आवश्यक है। (जो मात्र कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्त है तथा बी0एड0 योग्यताधारी है, को डी0एल0एड0 करने की आवश्यकता नहीं है)
3. कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले ऐसे शिक्षक, जो बी0एड0 प्रशिक्षित है, को छः माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, जिसके पंजीकरण की प्रक्रिया आगामी माह अक्टूबर, 2017 में प्रारम्भ होगी।
4. डी0एल0एड0 में पंजीकरण करने वाले ऐसे शिक्षक जिनका कक्षा 12 में 50% से कम अंक (SC/ST/OBC-45%) है, को NIOS से कक्षा 12 में अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पंजीकरण करना होगा।
5. सी0पी0एड0/बी0पी0एड0/डी0पी0एड0 प्रशिक्षित शिक्षक, जो शिक्षण कार्य करने हेतु नियुक्त है, को डी0एल0एड0 करना होगा।

पब्लिक स्कूल :–

1. पब्लिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन कराने वाले **समस्त** कार्यरत अध्यापक, जो बी0टी0सी0 / डी0एल0एड0 नहीं है, को डी0एल0एड0 करना होगा। कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले ऐसे शिक्षक, जो बी0एड0 प्रशिक्षित है, को छः माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, जिसके पंजीकरण की प्रक्रिया आगामी माह अक्टूबर, 2017 में प्रारम्भ होगी। किन्तु ऐसे शिक्षक जो बी0एड0 योग्यताधारी है तथा केवल कक्षा 6 से 8 में अध्यापन करते है, उन्हें डी0एल0एड0 करने की आवश्यकता नहीं है।
2. सी0पी0एड0 / बी0पी0एड0 / डी0पी0एड0 प्रशिक्षित शिक्षक, जो शिक्षण कार्य करने हेतु नियुक्त है, को डी0एल0एड0 करना होगा।
3. डी0एल0एड0 में पंजीकरण करने वाले ऐसे शिक्षक जिनका कक्षा 12 में 50% से कम अंक (SC/ST/OBC-45%) है, को NIOS से कक्षा 12 में अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पंजीकरण करना होगा।

उक्त प्रशिक्षण से समस्त बोर्ड से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त विद्यालय आच्छादित होंगे।

अतः उक्तानुसार अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी0एल0एड0 प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए समस्त विद्यालयों / शिक्षकों को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा निर्देशित करें कि दिनांक 15–09–2017 तक अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। यहां यह भी स्पष्ट करना है कि :–

1. दिनांक 18–08–2017 को निदेशालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लिखित किया गया था कि NIOS द्वारा विद्यालयों को school code एवं password दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में NIOS द्वारा कोई code एवं password नहीं दिया जायेगा बल्कि उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों को NIOS के Portal पर अपनी स्वयं की ID तथा प्रधानाध्यापकों को भी login ID बनाकर सीधे online आवेदन करना होगा, जिसका दिनांक 23.08.2017 की विज्ञप्ति में भी वर्णन किया गया था।
2. राजकीय विद्यालयों के सम्बन्ध में उप शिक्षा अधिकारी को भी login ID नहीं बनानी है। शिक्षकों को ID के Portal पर अपनी स्वयं की ID तथा प्रधानाध्यापकों को भी login ID बनाकर सीधे online आवेदन करना होगा।
3. online आवेदन करने हेतु nios.ac.in पर login करना होगा।

भवदीय

08.9.2017

(आर० के० कुँवर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ0सं0 : प्रा॰शि॰–दो(2) / 15175-80 / 17(III) / 2017–18 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
02. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल / कुमायूँ मण्डल।
03. अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।
04. समस्त उप शिक्षा अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)

(वी0 एस0 रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून